न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 94/2025 बउनवानी D.K बनाम तहसीलदार तलावडा
203,2nd Floor Narmada Block, Sardar Hight's Zinnat nagar, Tithal Road Vaisad Gujrat
GCMS No-2025/ 243 **Appeal Number- 321048982124168**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
8.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 17.1.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"ग्राम बाडरामसर एवं रामसर ग्राम पंचायत हीरापुर तहसील तलावडा की भूमि को लेकर एवं सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवादों सहित कुल 16 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना"* तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/अपील/2025/371 दिनांक 7.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रथम अपील से संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 17.1.2025 तहसील तलावडा के आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त नही हुआ है। इसलिए आवेदक को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.1.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र तहसीलदार तलावडा के आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त नही होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक होने के कारण उक्तानुसार चाही गयी सूचना दिया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर